<u>समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ सं0–07</u>

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।
फौजदारी वाद सं0–1235/2022
राज्य बनाम विपिन सजवाण

<u>दिनांक 09.12.2023</u>

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष पेश हुयी।

प्रार्थी के द्वारा उक्त मामलें में मूल रसीद, यह कहते हुये प्रस्तुत की गयी है कि पुलिस/ए0आर0टी0ओ0 द्वारा एम0वी0 एक्ट के तहत उसका चालान किया गया था, जिसका समन उसके द्वारा किया जा चुका है। अतः उपर्युक्त के आधार पर न्यायालय में लम्बित चालान को निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है।

सम्बन्धित चालान के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त का एम0वी0एक्ट के तहत चालान किया गया था। धारा–200 एम0वी0एक्ट के तहत कुछ अपराधों को शमनीय बनाया गया है, जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0–153/IX/108/2009 दिनांकित 15.07.2019 के जरिये परिवहन कर अधिकारी ग्रेड–1 व अधिसूचना सं0– 614/IXH/81/2016 दिनांकित 09.08.2016 के जरिये पुलिस अधिकारी को समन करने के लिये अधिकृत किया गया था, जिसे अधिसूचना सं0–418/IX-1/53/2019 दिनांकित 24.09.2019 द्वारा विस्तृत व समन की धनराशि नियत कर दण्डित किया गया है, जिसके तहत अधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध चालान का समन किया गया है। प्रमाण पत्र के रूप में रसीद की प्रति प्रस्तुत की गयी है। मूल रसीद पर अविश्वास व संदेह का कोई न्यायोचित कारण नहीं है। ऐसी स्थिति में मामले में अब कोई विधिक कार्यवाही शेष नहीं रह गयी है तथा मामले को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त की याचना स्वीकार करते हुये मामले का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(कविता भट्ट)
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
पीठ संख्या–07

(निशा देवी)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
पीठ संख्या–07